UPGK010064852026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–2/विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), गोरखपुर।

पीठासीन अधिकारी– (नितिन कुमार ठाकुर)

एच०जे०एस०– UP2656

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2889/2026

शैला देवी पत्नी नन्दू यादव उम्र–49 वर्ष निवासिनी–मुहल्ला बिलन्प्दपुर खन्ता, थाना गोरखनाथ, जनपद गोरखपुर।

.....आवेदिका/अभियुक्ता।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोगी।

प्राथमिकी सं0–472/2026,
धारा–3(1) व 2(ख) की उपधारा (i)(xi) व(xiv) उ०प्र०
गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण)
अधिनियम 1986,
थाना–चिलुआताल, जनपद–गोरखपुर।

दिनांक–30.07.2026

1– प्राथमिकी सं०–472/2026, अन्तर्गत धारा–3(1) व 2(ख) की उपधारा (i)(xi) व (xiv) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986, थाना–चिलुआताल, जनपद–गोरखपुर प्राथमिकी दिनांक 28.06.2026 समय 10:52 बजे के प्रकरण में जेल में निरूद्ध है अतएव यह वर्तमान जमानत प्रार्थनापत्र आवेदिका की ओर से प्रस्तुत किया गया है।

2– उक्त प्राथमिकी के अनुसार संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि गिरोह सरगना अंकुर सिंह पुत्र मोलहू सिंह व गिरोह का सदस्य 1. राजू शर्मा पुत्र मदनलाल शर्मा, 2. धीरेन्द्र यादव उर्फ टुनटुन पुत्र जोखन यादव, 3. रवि चौधरी पुत्र रामकिशोर चौधरी, 4. मुन्ना जायसवाल पुत्र स्व० शंकर जायसवाल, 5. नवमी शर्मा पुत्र टुन्नू शर्मा, तथा अभियुक्ता 6. शैला देवी पत्नी नन्दू यादव व 7. नीलम सिंह पुत्री स्व० राजबली सिंह है। गिरोह सरगना द्वारा गिरोह के सदस्य के साथ मिलकर एक संगठित अपराधिक गिरोह बना कर जनपद स्तर पर सक्रिय है। इस गिरोह द्वारा थाना चिलुआताल क्षेत्र में अपने भौतिक व दूनियाबी लाभ के लिये सुनियोजित तरीके से अपने गिरोह के माध्यम से हरियाणा व राजस्थान के लोगों को शादी के लिये अपने यहां बुलाकर गिरोह में शामिल शैला देवी को नीलम सिंह व रीमा उर्फ रेखा की मौसी

बनाकर शादी के लिये आये लोगों को दिखाया जाता है, तथा लड़की पसंद होने पर उक्त गिरोह द्वारा फर्जी शादी कराकर साजिश के तहत उक्त गिरोह के सरगना व गिरोह का सदस्य धीरेन्द्र यादव, मुन्ना जायसवाल, नवमी शर्मा द्वारा अपने आपको पुलिस वाला बताकर अपना फर्जी पुलिस का परिचय पत्र दिखाकर तथा रवि चौधरी द्वारा खुद को लड़की का भाई बताकर बाहर से शादी करने आये लोगों को लड़की खरीदने व बेचने का आरोप लगाकर उन्हे बंधक बनाकर जान से मारने की धमकी देकर उनसे जबरन धन उगाही करना तथा अपने काम के हिसाब से पैसो का बटवारा कर लेना जैसा अपराध कारित किया गया। इस गैंग द्वारा किये जा रहे अपराध से आम जन मानस में भय का माहौल व्याप्त है। इस गैंग द्वारा किये गये अपराध के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 247/2026 अन्तर्गत धारा 308(5),122(2), 127(2),61(2),317(2),204,319(2), 318(4),336(3),340(2),3(5) बीएनएस पंजीकृत है, जिसमें बाद विवेचना आरोप पत्र अभियुक्तगण अभियुक्तगण 1. अंकुर सिंह पुत्र मोलहू सिंह, 2. राजू शर्मा पुत्र मदनलाल शर्मा, 3. धीरेन्द्र यादव उर्फ टुनटुन पुत्र जोखन यादव, 4. रवि चौधरी पुत्र रामकिशोर चौधरी, 5. मुन्ना जायसवाल पुत्र स्व० शंकर जायसवाल, 6. नवमी शर्मा पुत्र टुन्नू शर्मा, व अभियुक्ता 7. शैला देवी पत्नी नन्दू यादव उपरोक्त के विरुद्ध जुर्म धारा 308(5), 122(2), 127(2),61(2),317(2),204,319(2),318(4),336(3), 340(2),3(5) बीएनएस व अभियुक्ता 8. नीलम सिंह पुत्री स्व० राजबली सिंह उपरोक्त के विरुद्ध 308(5),122(2),127(2),61(2),204,319(2),318(4),336(3),340 (2),3(5) बीएनएस में दिनांक 20.05.2026 को किता कर माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। इनके इस कृत्य से जन मानस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अभियुक्तगण स्वयं एवं गैंग के सदस्यों के भौतिक व दुनियाबी लाभ के लिए अंतर्राज्यीय लोगो को शादी का झांसा देकर जनपद में बुलाकर फर्जी शादी कराकर व स्वयं को पुलिस अधिकारी बताकर बंधक बनाकर जबरन धन उगाही करना तथा अपने काम के हिसाब से पैसों का बंटवारा कर लेना जैसा संगीन अपराध के कारण क्षेत्र की जनता में भय का माहौल व्याप्त है। उक्त अभियुक्त स्वयं अपना गिरोह चलाता है, उक्त गिरोह द्वारा कारित अपराध एवं अभिलेखो के परीक्षण/जांच के उपरांत अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध समस्त परिपत्र तैयार कर मुझ थानाध्यक्ष द्वारा नोडल अधिकारी को प्रेषित किये गये। नोडल अधिकारी द्वारा गैंगचार्ट तैयार कर अग्रिम कार्यवाही व अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया। उक्त गैंगचार्ट को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय के संयुक्त बैठक के उपरांत अनुमोदित किया गया। गैंगचार्ट में दर्शित अभियोग में आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल है, उक्त मामले माननीय न्यायालय में विचाराधीन हैं। उक्त गिरोह का स्वच्छन्द रहना समाजहित में नहीं है। उक्त गिरोह के विरुद्ध उ0प्र0 गिरोहबन्द अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना नितांत आवश्यक है।

3– उक्त जमानत आवेदन में उल्लिखित आधारों का उल्लेख करते हुए आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष रखा गया कि मूल मुकदमा अपराध सं0 247/2026 अज्ञात में दर्ज है तथा आवेदिका उक्त मुकदमे में नामजद अभियुक्त नहीं है। आवेदक पूर्णरूप से निर्दोष है तथा मात्र शंका के आधार पर आवेदिका को उक्त मुकदमे में अभियुक्त के रूप में नामित कर दिया गया है। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रतर यह तर्क रखा गया कि आवेदिका को स्थानीय थाना की पुलिस दिनांक 08.04.2026 को घर से बुलाकर ले गयी तथा 4 दिन तक चिलुआताल थाने में बैठायी रखी तथा 11.04.2026 को मुकदमा अपराध सं0 247/2026 में अभियुक्त बना दिया गया है। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क भी न्यायालय के समक्ष रखा गया कि आवेदक दिनांक 11.04.2026 से जिला कारागार गोरखपुर में निरूद्ध है तथा आवेदक के पास से किसी भी प्रकार का कोई बरामदगी नहीं है। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रतर यह तर्क रखा गया कि आवेदिका किसी भी गैंग की सदस्य नहीं है तथा न ही किसी भी गैंग की गैंग लीडर है तथा आवेदिका भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 7,17 एवं 18 में वर्णित किसी भी प्रकार के भौतिक व आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं किया है तथा न ही किसी प्रकार के समाज विरोधी क्रियाकलाप में संलिप्त रही है तथा आवेदिका असहाय व गरीब महिला है तथा जेल में रहने से आवेदिका का परिवार प्रभावित हो जायेगा और आखिर में आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष यह कहा गया कि आवेदिका जमानत दिये जाने की दशा में न्यायालय द्वारा अभिकथित किसी भी शर्त को मानने हेतु तैयार है। अतएव आवेदिका की जमानत आवेदन को स्वीकार करते हुए उसे जमानत पर रिहा किये जाने का आदेश दिया जाये।

4– उक्त के विपरीत विद्वान विशेष अभियोजन अधिकारी द्वारा न्यायालय के समक्ष यह तर्क रखा कि आवेदिका के विरूद्ध पुलिस द्वारा यथोचित तथ्य जुटाये गये हैं जिससे उसके विरूद्ध उक्त अधिनियम के तहत अपराध का बनना दर्शित है अतः उसके द्वारा किया गया अपराध उक्त अधिनियम के तहत गम्भीर प्रकृति का अपराध है फलस्वरूप वह उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत इस स्तर पर जमानत पाने का अधिकारी नहीं है अतएव इस वर्तमान जमानत आवेदन को निरस्त किया जाये।

5– पत्रावली एवं सभी संबद्ध दस्तावेजों का सम्यक अवलोकन किया एवं दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रखे गये तर्कों का गहन मनन किया।

6– **उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986** जोकि एक विशिष्ट उद्देश्य के तहत विधायिका द्वारा अस्तित्व में लाया गया है के विशिष्ट प्रावधान धारा–19 उपधारा–4 के प्रावधानों के तहत

> **विशेष न्यायालय उन्हीं दशाओं में जमानत प्रदान कर सकेगा जिनमें लोक अभियोजक को जमानत आवेदन का विरोध करने हेतु समुचित अवसर दिया गया हो और न्यायालय को यह संतुष्टि हो कि युक्तियुक्त आधार यह विश्वास किये जाने का हो कि आवेदिका इस प्रकार के अपराध की दोषी**

नहीं है तथा उसके द्वारा जमानत की अवधि में कोई अपराध कारित नहीं किया जायेगा।

उक्त विशिष्ट प्रावधान के दृष्टिगत इस स्तर पर जबकि पुलिस द्वारा विभिन्न दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं जिनमें आवेदिका के द्वारा कथित रूप से कारित किये गये अपराध का जिक्र है जिनके रहते हुए **इस स्तर पर** इस न्यायालय द्वारा उक्त प्रावधान के तहत संतुष्ट होना कि आवेदिका द्वारा उसके विरूद्ध लगे अभियोग सदृश कोई अपराध नहीं किया गया है कि तरह का मत नहीं दिया जा सकता। अतएव मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर और अधिक गहनता से विमर्श न करते हुए यह न्यायालय उक्त अधिनियम के द्वारा न्यायालय हेतु नियत की गई परिधि के तहत इस वर्तमान जमानत आवेदन को स्वीकार किया जाना विधि सम्मत नहीं समझती है।

आदेश

तद्नुसार, आवेदिका **शैला देवी** का जमानत आवेदन सं०–**2889/2026** जोकि प्राथमिकी सं०–472/2026, अन्तर्गत धारा–3(1) व 2(ख) की उपधारा (i)(xi) व (xiv) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986, थाना–चिलुआताल, जनपद–गोरखपुर से संबंधित है **निरस्त** किया जाता है।

दिनांक–30.07.2026

(नितिन कुमार ठाकुर)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–2/
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), गोरखपुर।